अपर समाहर्त्ताओं के साथ दिनांक 24.06.2014 को माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–पंजी अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

आज दिनांक 24.06.2014 को माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में अपर समाहर्त्ताओं के साथ विभागीय समीक्षात्मक परिचर्चा की गयी। जिसमें सर्वप्रथम माननीय विभागीय मंत्री महोदय द्वारा उपस्थित अपर समाहर्त्ताओं का परिचय प्राप्त किया गया (नाम एवं पदस्थापित जिला), तदुपरान्त माननीय मंत्री द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का आम जनता के जीवन में अतिमहत्वपूर्ण योगदान की चर्चा की गयी। उनके द्वारा क्षेत्र में राजस्व कर्मचारी एवं अमीनों की भारी कमी के कारण आम जनता को भूमि विवाद सम्बर्नधित उत्पन्न समस्याओं की भी चर्चा की गयी।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा यह बताया गया कि चार हजार से अधिक राजस्व कर्मचारी एवं अमीन की अधियाचना बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसा प्राप्त होते ही विभाग द्वारा नियुक्ति कर ली जायेगी। साथही माननीय मंत्री द्वारा अंचल निरीक्षक, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अपर समाहर्त्ता के प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम बनाकर करने का निदेश दिया गया।

सभी जिलों से कार्यावली बिन्दुवार विशेष एवं विस्तृत समीक्षा की गयी।

1. **(क)** भू–हदबंदी, भूदान, गैर मजरूआ आम एवं मालिक भूमि के अर्जन, प्राप्ति, वितरण, अधिशेष एवं वितरण अयोग्य भूमि के प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। उपरोक्त सभी प्रकार के भूमि से संबंधित प्रतिवेदन पर परिचर्चा के दौरान कतिपय अपर समाहर्त्ताओं द्वारा अपने भेजे गये प्रतिवेदनों से पुनः भिन्नता जाहिर की गयी। इससे स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा संधारित ऑकड़े एवं जिलों के ऑकड़ों में अभी भी कहीं न कहीं त्रुटि रह गयी है। अतः यह निदेश दिया गया कि त्रुटि रहित डाटा मुख्यालय को भेजने की कृपा की जाय।

(ख) दिनांक–26.05.2014 की बैठक में सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया था कि सामान्य प्रकृति के सभी प्रकार के जो बेदखली के मामले हैं उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेदखली के मामले की अलग से समीक्षा हेतु ऑकड़ों की आवश्यकता है क्योंकि इसकी आवश्यकता अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण से संबंधित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिये कंडिका– (क) में संधारित ऑकड़ों में से उसी प्रपत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बेदखली से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह बैठक में भेजना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही निदेश दिया गया था कि वेदखली के मामले में सघन अभियान चलायें, जिसमें समाजसेवी संगठनों की भी मदद ली जाय। सभी जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर वेदखली, विकास के अन्य बातें, लोक सूचना के अधिकारों एवं भ्रष्टाचार से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु एक नियंत्रण कक्ष का निर्माण किया जाय, जिसकी सूचना दूरभाष संख्या सहित समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित कराया जाय। सरकारी भूमि का वितरण जिन सुयोग्य श्रेणी के लोगों के बीच किया गया हैं, उनकें बेदखली के मामलें प्रकाश में आने पर B.L.D.R Act के अन्तर्गत D.C.L.R न्यायालय में मामले दर्ज कराऐं जाऐं।

(ग) यह भी निदेश दिया गया था कि सभी जिलों में सभी प्रकार के वितरित भूमि का भौतिक सत्यापन भी युद्ध स्तर पर कराने की कार्रवाई की जाय तथा इसकी समय सीमा तय की जाय।

(घ) गैर मजरूआ जमीन के वितरण का मासिक लक्ष्य निर्धारित करने का निदेश सचिव द्वारा सभी अपर समाहर्त्ताओं को दिया गया था। सभी अपर समाहर्त्ताओं को लक्ष्य निर्धारित कर गैर मजरूआ जमीन वितरित कर प्रतिवेदन विभाग को भेजने का निदेश था। ताकि लक्ष्य पर के आधार पर की समीक्षा की जा सकें। परन्तु बैठक की समीक्षा में पाया गया कि इस निदेश का पूर्णरूपेण अनुपालन नहीं हो पा रहा है। सभी अपर समाहर्त्ताओं को इस माह में वितरित किये जाने वाले गैर मजरूआ मालिक भूमि का लक्ष्य दिया गया है, जिसकी सूची संलग्न है। इस संबंध में शख्त निदेश दिया गया है कि आगामी बैठक के पूर्व लक्ष्य के अनुसार गैर मजरूआ मालिक भूमि की बन्दोवस्ती कर विभाग को प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे।

(ड.) भू–हदबंदी भूदान एवं बी0पी0पी0एच0टी0 से सम्बन्धित विभिन्न जिलों में लंबित सी0डब्लू0जे0सी0 / एम0जे0सी0 / एल0पी0ए0 एवं एस0एल0पी0 की सूची विभाग द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। सभी अपर समाहर्त्ता से अनुरोध है कि व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर शपथ पत्र दायर करा ले।

(च) न्यालयों में विभिन्न लंबित भू–हदबंदी वादों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि राजस्व पदाधिकारियों द्वारा भू–हदबंदी वादों के निस्तारण में रूचि नहीं ली जा रही है। यह अत्यंत ही खेद का विषय है। इस संबंध में अपर समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया कि अपने जिला के लंबित भू–हदबंदी वादों का निष्पादन तीव्र गति से ससमय निष्पादन करें एवं अगले माह की बैठक में कृत कार्रवाई से प्रतिवेदित करें।

(कार्रवाई– विभाग एवं सभी जिला)

2. <u>भूदान</u> :–

अध्यक्ष भूदान समिति द्वारा भूदान पक्ष के संबंध में कठिनाईयाँ बतलाया गया, जिसके चलते लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है :–

(i) बहुत सारे भूमि सम्पुष्टि के मामले D.C.L.R के यहॉ लम्वित है, इस संबंध में सचिव द्वारा सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया था कि मंत्री भूदान यज्ञ समिति को बुला कर बैठक का आयोजन करें। उनसे सम्पुष्ट वितरण योग्य भूमि/वितरण अयोग्य भूमि की सूची प्राप्त कर उसकी भौतिकी जाँच करायें एवं अगली बैठक के पूर्व प्राप्त प्रतिवेदन से विभाग को अवगत करायेंगे तथा D.C.L.R के न्यायालय में लम्वित सूचि सम्पुष्टि के मामले का स्वंय समीक्षा कर उनके स्थिति का भी प्रतिवेदन विभाग को देंगे।

भूदान अन्तर्गत वह भूमि जिससे सम्बन्धित पर्चा भूमिहीनों को वितरित किया जा चुका है तथा लाभाथियों को भूमि पर वास्तव में कब्जा है से सम्बन्धित भूमि का दाखिल खारिज सुनिश्चित किया जाय। पुनः इसपर सर्वोच्च ध्यान देकर पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– सभी जिला)

3. <u>महादलित विकास योजना</u> :–

निदेश दिया गया कि वैसे महादलित परिवारों को जिनकों अभी तक वास भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया है, उनके लिए भूमि का चयन कर लिया जाय तथा उनकी सहमति प्राप्त कर ली जाय ताकि आदेश निकलते ही M.V.R पर क्रय की कार्रवाई प्रारंभ कर एक माह में इसका निष्पादन कराया जा सके।

(कार्रवाई– संबंधित सभी जिला)

(ख) बिहार गृह स्थल क्रयनीति 2011 :–

निदेश दिया गया कि तत्काल अनुसूचित जाति (महादलित छोड़कर) अनुसूचित जन जाति के पिछड़े वर्गो के वास विहीन परिवारों का सर्वेक्षण प्रारंभ कर सूचीबद्ध किया जाय ताकि इस दिशा में अग्रेतर कार्रवाई आदेश प्राप्त होते ही कर दी जाय।

(कार्रवाई– संबंधित सभी जिला)

4. भू–अभिलेखों का अद्यतीकरण तथा N.L.R.M.P. की प्रगति के संबंध में :–

5. भू–अभिलेखों का अद्यतीकरण तथा N.L.R.M.P की प्रगति के सम्बन्ध में :–

जिलों में भ्रमण के दौरान यह देखा जा रहा है कि भू–अभिलेख के कम्प्यूटराइजेशन कार्य में भौतिक सत्यापन का घोर आभाव है। भू–अभिलेख के कम्प्यूटराइजेशन के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर सत्यापन का प्रतिशत नियत किया गया है। परंतु किसी भी स्तर के पदाधिकारी द्वारा नियत मानक अनुसार भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा है।

सभी अपर समाहर्त्ता स्वंय रूचि लेकर नियत मानक (3%) के अनुसार निरीक्षण करे तथा सुनिश्चित करे कि उनके कनीय पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।

(क) विगत बैठक में अपर समाहर्त्ताओं द्वारा भू–अभिलेख कम्प्यूटराइजेशन के प्रशिक्षण के बारे में आवश्यकता प्रकट की गयी। विशेष कार्य पदाधिकारी द्वार बताया गया कि सभी जिलों में भू–अभिलेख कम्प्यूटराइजेशन से सम्बन्धित Power Point Presentation भेजा जा चुका है। इसकी मदद से सभी अपर समाहर्त्ताओं आवश्यकतानुसार स्थानीय स्तर पर राजस्व पदाधिकारी/राजस्व कर्मचारी का प्रशिक्षण सुनिश्चिता करें तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण का कार्य सम्पन्न कराये।

(ख) बैठक में अपर समाहर्त्ताओं को दिये गये निम्नांकित निदेश :–

- डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार के निर्माण प्रक्रिया की भवन निर्माण विभाग के साथ समीक्षा की जाय।
- डाटा केन्द्र–सह–आधुनकि अभिलेखागार के निर्माण में गुणवत्ता की अंचलाधिकारी के स्तर से नियमित समीक्षा की जाय।
- बेल्ट्रान के द्वारा डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार के उपस्कर स्थापना में सहयोग की जाय।
- बेल्ट्रान के द्वारा स्थापित उपस्करों की गुणवत्ता की जाँच तथा प्रमाण–पत्र निर्गत की प्रक्रिया की जाँच की जाय।

(कार्रवाई– सभी जिला)

5. <u>बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 (बिहार प्रश्रय प्राप्त रैयत बासभूमि अभिधृति अधिनियम) के कार्यान्वयन की स्थिति</u> :–

बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 के अन्तर्गत लम्बित वासगीत पर्चा से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि कई जिलों में काफी मात्रा में बासगीत पर्चा से संबंधित आवेदन लम्बित हैं। सचिव महोदय द्वारा सभी जिलों को अपने ऑकड़े को पुनः जॉच कर शुद्ध कर लेने का निदेश दिया गया और निर्धारित अवधि तक इस संबंध में प्रतिवेदन ई–मेल के द्वारा भेजने का निदेश दिया गया।

बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 के उपलब्ध आँकड़ों को विभागीय बेव साईट पर डालने का निदेश दिया गया तथा सभी जिला उन आँकड़ों को सत्यापित कर लेंगे एवं यदि कोई संशोधन हो तो उसे सुधार कर लेंगे।

(कार्रवाई– विभाग एवं सभी जिला)

6. <u>जन शिकायत संबंधी आवेदन पत्रों के निष्पादन के संबंध में</u> :–

सभी जिलों को निदेशित किया गया कि जन शिकायत संबंधी प्राप्त सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र निष्पादित कराये। जिन आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है, उसे विभागीय ई–मेल पर शीघ्र डाल दें।

(कार्रवाई– सभी जिला)

7. <u>न्यायालीय मुकदमों का निष्पादन के संबंध में</u> :–

(क) विभाग के अन्तर्गत कुल 641 सी0डब्लू0जे0सी0 के मामले एवं 66 एम0जे0सी0 के मामले प्रतिशपथ–पत्र/कारण–पृच्छा दायर करने हेतु लम्बित हैं। इन लम्बित मामलों का त्वरित निष्पादन अत्यावश्यक है। उन्होंने निदेश दिया कि एक सप्ताह के अन्दर सभी लम्बित मुकदमों की सही स्थिति ज्ञात कर लिया जाए तथा अधिक–से–अधिक मामलों में प्रतिशपथ–पत्र/कारण–पृच्छा तैयार कर माननीय उच्च न्यायालय में संबंधित सरकारी अधिवक्ता को भेजा जाए। जिन मामलों में प्रतिशपथ–पत्र/कारण–पृच्छा दायर हो चुके हों तो उसकी शपथ संख्या एवं तिथि विभाग को अविलम्ब फैक्स/ई–मेल द्वारा सूचित कर दिया जाय। बैठक में यह भी निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के 10 से 15 तारीख तक लम्वित वादों की अद्यतन स्थिति से विभाग को अवगत कराया जाय।

(ख) सचिव द्वारा समीक्षा के दौरान बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय का निदेश है कि दायर याचिका के विरूद्ध यदि 30 दिनों के अन्दर प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं किया जाता है तो माननीय न्यायालय द्वारा इसे अवमाननावाद का मामला माना जाएगा। इसलिए समय पर प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर करने का निदेश देते हुए इस तथ्य से अवगत कराया गया कि न्यायालय के अवमानना स्थिति में संबंधित पदाधिकारी पर जिम्मेवारी निर्धारित की जायेंगी।

(कार्रवाई– सभी जिला)

8. <u>सेवान्त लाभ</u> :–

सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया कि सेवान्त लाभ के मामलों पर विशेष ध्यान देकर उसका त्वरित निष्पादन कराया जाय तथा हर माह की 10 वीं तिथि तक वित्त विभाग द्वारा संधारित विहित प्रपत्र संख्या–I, II, III, IV एवं V में वांछित सूचना स्पष्ट रूप से दर्शाते हुये विभाग को ई–मेल किया जाय

तथा इसके अतिरिक्त विशेष दूत द्वारा इस्की हार्ड प्रति विभाग को भेजी जाय। साथ ही सेवान्त लाभ के मामले को गम्भीरता से लेने का निदेश सचिव द्वारा दिया गया, ताकि सेवान्त लाभ से संबंधित वाद या याचिका कम से कम न्यायालय में दायर हो सकें को पुनः दोहराया जाय।

(कार्रवाई– सभी जिला)

9. विभागीय कार्यवाही :–

विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के संदर्भ में बताया गया कि सभी जिलों में कुल ..... मामले लम्बित हैं, जिनमें संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन अप्राप्त है।

इस संबंध में निदेशित किया गया कि अभियान चलाकर एक माह के अन्दर सभी लम्बित विभागीय कार्यवाहियों में संचालन पदाधिकारी के स्तर से प्रतिवेदन विभाग को भेजवायें ताकि मामलों का निष्पादन हो सके।

(कार्रवाई– विभागीय निगरानी कोषांग एवं सभी संबंधित जिला)

10. विधान मंडलीय कार्य :–

विधान सभा/विधान परिषद् के लम्बित प्रश्न/आश्वासन/निवेदन तथा विशेष रूप से विधान सभा के शून्यकाल के लम्बित मामलों का निपटारा जल्द से जल्द करने का निदेश दिया गया ताकि विधान समितियों की बैठक में विभागीय निष्पादन की स्थिति सुदृढ़ हो सके। अगली बैठक के पूर्व शत प्रतिशत विधान मंडलीय लंबित प्रश्नों/आश्वासनों/निवेदनों/शून्यकाल प्रश्नों का अनुपालन सुनिश्चित् करने तथा अगली बैठक में गहन समीक्षा करने का निदेश दिया गया। सभी निदेशालय/प्रशाखा को निदेश दिया गया कि वे अपने पास ऐसे लंबित प्रश्नों जिनका उत्तर अप्राप्त हैं कि छाया प्रति प्रशाखा–10 को शीघ्र उपलब्ध करा दें, जिसे संकलित पर विभागीय **वेव साइट** पर डाला जा सके।

11. कृषि गणना :–

सचिव ने दिनांक–24.06.2014 की बैठक में अपर समाहर्त्ताओं को निदेश दिया था कि लंबित अनुसूची **'एच'** का कार्य शीघ्र पूरा करें। पूर्व में लंबित 21 जिलों में से 3 जिलों में यथा--पूर्वी चम्पारण, वैशाली, भागलपुर में कार्य पूर्ण हो गया। शेष लंबित 18 जिलों यथा–जहानाबाद, रोहतास, नवादा, पटना, सिवान, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया एवं अरवल जिला के सम्बन्धित अधिकारियों को निदेशित किया गया कि लंबित शेष चयनित गाँवों की अनुसूची **'एच'** अविलम्ब विभाग को उपलब्ध करा दें।

(कार्रवाई– सभी जिला)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

दिनांक 24.06.2014 की बैठक में गैर मजरूआ मालिक भूमि को वितरित किये जाने का दिया गया लक्ष्य की विवरणी।

क्र0	जिला का नाम	लक्ष्य
1	2	3
1	नालन्दा	20
2	भोजपुर	30
3	बक्सर	30
4	रोहतास	10
5	कैमूर	10
6	गया	500
7	जहानाबाद	10
8	अरवल	20
9	औरंगाबाद	10
10	नवादा	50
11	मुजफ्फरपुर	30
12	सीतामढ़ी	20
13	वैशाली	25
14	पू0 चम्पारण	20
15	प0 चम्पारण	100
16	शिवहर	10
17	सारण	10
18	सीवान	20
19	शेखपुरा	10
20	दरभंगा	10
21	समस्तीपुर	20
22	मधुबनी	20
23	पूर्णियाँ	30
24	कटिहार	30
25	गोपालगंज	10
26	भागलपुर	50
27	बांका	10
28	मुंगेर	10
29	बेगूसराय	15
30	खगड़िया	100
31	लखीसराय	10
32	जमुई	100
33	मधेपुरा	30
34	सहरसा	30
35	सुपौल	10
36	किसनगंज	10
37	अररिया	20

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ई–मेल
फैक्स

ज्ञापांक:– 10 / सम0अ0स0(बैठक)कार्यवाही– 43 / 2014 221-(10)/रा0, पटना–15, दिनांक :– 28/7/14

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव / सभी विभागीय पदाधिकारीगण / संबंधित प्रशाखा पदाधिकारीगण, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(उमेश सिंह)
सरकार के उप सचिव।